चित्रकूट-पुलिस

(1). नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाये जा रहे "मिशन शक्ति अभियान-4" के तत्वाधान में जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियों टीमों/''शक्ति दीदी'' द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरुक किया गया।

"मिशन शक्ति अभियान-4" व ''शक्ति दीदी'' अभियान के तहत आज दिनांक 05.12.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में समस्त थाना क्षेत्रो में एण्टी रोमियों टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामो में भ्रमण किया गया । महिलाओं/बालिकाओँ को "मिशन शक्ति" व ''शक्ति दीदी'' के सार्वजनिक स्थलो जैसे-चौराहे, बाजारों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओ एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेडखानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरुक किया गया तथा महिला/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारियां दी गई । इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है । इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओ को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया । इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित "एंटी रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की।

(2). आज दिनाँक 05.12.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह निर्देशन में चित्रकूट पुलिस द्वारा आगामी त्योहार के दृष्टिगत शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृण बनाये रखने हेतु थाना/चौकी प्रभारियो द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के मिश्रित आबादी क्षेत्र एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया। पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओँ एवं क्षेत्रीय नागरिको से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया। पैदल गस्त के दौरान पुलिस टीम द्वारा सरकारी शराब की दुकानों को चेक किया गया एवं 02/04 पहिया वाहनों की चेकिंग की गयी।

(3). आज दिनाँक 05.12.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी राजापुर श्री जयकरन सिंह की अध्यक्षता में श्रीराम जन्मभूमि/बाबरी मस्जिद प्रकरण में प्रत्येक वर्ष 06 दिसम्बर को कतिपय मुस्लिम संगठनों/सम्प्रदाय द्वारा काला दिवस व हिन्दू संगठनों द्वारा शौर्य दिवस मनाया जाता है साथ ही साथ डॉ0 भीमराव अम्बेडकर साहब का परिनिर्वाण दिवस भी मनाये जाने के दृष्टिगत थाना सरधुवा अपराध निरीक्षक श्री अंजनी कुमार सिंह की उपस्थिति में पीस कमेटी के सदस्यों के साथ गोष्ठी की गयी । इस गोष्ठी में हिन्दु-मुस्लिम दोनों समुदायों के सदस्यों से वार्ता कर भाईचोरे एंव सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाये रखने की अपील की गयी तथा शासन के दिशा निर्देशों के सम्बन्ध में बताया गया।

(4). आज दिनाँक 05.12.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक राजापुर श्री मनोज कुमार द्वारा थाना राजापुर में,प्रभारी निरीक्षक मऊ श्री विनोद कुमार राय द्वारा थाना मऊ में,प्रभारी निरीक्षक पहाड़ी श्रीमती रीता सिंह द्वारा थाना पहाड़ी में,प्रभारी निरीक्षक मारकुण्डी श्री शिव आसरे द्वारा थाना मारकुण्डी में एवं थानाध्यक्ष बरगढ़ श्री पंकज तिवारी द्वारा थाना बरगढ़ में श्रीराम जन्मभूमि/बाबरी मस्जिद प्रकरण में प्रत्येक वर्ष 06 दिसम्बर को कतिपय मुस्लिम संगठनों/सम्प्रदाय द्वारा काला दिवस व हिन्दू संगठनों द्वारा शौर्य दिवस मनाया जाता है साथ ही साथ डॉ0 भीमराव अम्बेडकर साहब का परिनिर्वाण दिवस भी मनाये जाने के दृष्टिगत अपने – अपने थाना क्षेत्र के पीस कमेटी के सदस्यों के साथ गोष्ठी की गयी। इस गोष्ठी में हिन्दु-मुस्लिम दोनों समुदायों के सदस्यों से वार्ता कर भाईचोरे एंव सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाये रखने की अपील की गयी तथा शासन के दिशा निर्देशों के सम्बन्ध में बताया गया।

(5). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री उपेंद्र कुमार सिंह एवं पैरोकार आरक्षी अशोक बाबू द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं अभियोजन अधिकारी श्री बृजमोहन द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट चित्रकूट श्री राजेन्द्र प्रसाद भारती द्वारा थाना कोतवाली कर्वी में पंजीकृत मु0अ0सं0 253/2021 धारा 454/380/411 भादवि0 के आरोपी अभियुक्त राजेश जमादार पुत्र पुन्ना जमादार निवासी चिल्ली थाना कोतवाली देहात जनपद बांदा को 04 वर्ष का साधारण कारावास व 1000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

<u>संक्षिप्त विवरणः-</u>

दिनाँक 10.07.2021 को वादी कृष्ण तिवारी पुत्र रघुनाथ प्रसाद तिवारी निवासी भरतपुरी थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट द्वारा सूचना दी गयी थी कि दिनाँक 09.07.2021 को अज्ञात चोर द्वारा मेरे घर का ताला तोड़कर घर में घुसकर घर में रखे जेवरात व करीब 03 लाख रूपये चोरी कर लेना। इस सूचना पर थाना कोतवाली कर्वी में मु0अ0सं0 253/2021 धारा 454/380/411 भादवि0 बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया। मुकदमें की विवेचना तत्कालीन उ0नि0 श्री शिवकुमार द्वारा की गयी । विवेचक द्वारा अभियुक्त राजेश जमादार उपरोक्त को मय माल व रूपये के दिनाँक 23.07.2021 को गिरफ्तार किया गया तथा अभियुक्त को जेल भेजा गया। दिनाँक 14.09.2021 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।